असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 अगस्त, 2016

अध्यक्ष : ठीक है दिनेश जी । मंत्री जी, इनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के कारण कई योजनाएं लंबित रहती है । इसलिए भूमि अधिग्रहण के मामले की समीक्षा नियमित अंतराल पर विभाग करे । यह उनका सुझाव है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहें तो कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, तब उनका आश्वासन होगा ।

अध्यक्ष : उन्होंने उसको स्वीकार किया है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : बैठे-बैठे स्वीकार कैसे करेंग ? मंत्री जी को तो खड़े होकर कहना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : माननीय सदस्य का प्रश्न प्रदेश के हित में है और सरकार का निर्णय है कि सभी अनुमंडल में महाविद्यालयों का निर्माण हो । इसमें जो त्रुटि है, उसके सुधार के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ एक हम इसका रिव्यू करवा देते हैं और जल्द से जल्द इसका इम्पलीमेंट करवाने का प्रयास करते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : ठीक है, धन्यवाद ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोग जो जमीन दे रहे हैं.....

अध्यक्ष : आप तो कहे कि व्यवस्था पर खड़े हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी व्यवस्था ही है ।

अध्यक्ष : किस नियम के तहत व्यवस्था पर हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : व्यवस्था है कि.....

अध्यक्ष : आपका पूरक है कि व्यवस्था है ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : पूरक है ।

अध्यक्ष : तो पूरक बोलिए न, कह रहे हैं कि व्यवस्था है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी, पूरक है । मामला यह है कि आपने नवसृजित विद्यालय खोला है, जमीन उपलब्ध नहीं है, कुछ लोग जमीन भी दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आवेदन पड़ा है तो सी0ओ0 के यहां तीन महीना, डी0सी0एल0आर0 के यहां पांच महीना और कलक्टर साहब के यहां एक साल इसके चलते विद्यालय भवन नहीं बन रहे हैं और इस तरह की घटना मेरे गोरियाकोठी विधान सभा में 35 है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि कलक्टर को हिदायत दिया जाय कि जितना जल्दी हो सके, आदेश दें ताकि लोग निबंधित करा सकें ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-70 (श्री अरूण कुमार)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के सभी कन्या उच्च विद्यालयों में सिर्फ महिला शिक्षिकाओं के पदस्थापन का कोई नीतिगत निर्णय नहीं

है। महिला शिक्षिकाओं की उपलब्धता के आधार पर उनका पद स्थापन कन्या उच्च विद्यालय में करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अरूण कुमार (भोजपुरी का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, हम पूछते हैं कि माननीय मंत्री महोदय तो सब जवाब बराबर देते ही गये, लेकिन हमारा जो कन्या विद्यालय है वह बना है इसीलिए कि उसमें कन्या मास्टर रहेगी । हमारे क्षेत्र में दो स्कूल है फुलारी स्कूल में 7 में 2 ही महिला मास्टर है और 5 जेंट्स हैं । हमारे यहां असनी स्कूल तो हम कहेंगे मंत्री जी से कि सब कोई की बात सुनकर इनको मिला है और जवाब देते जाते हैं, लेकिन इसपर गौर करने का है कि हमारे यहां विवाद होता है 8वां, 9वां, 10वां की लड़कियों को, भाजपा के लोग से कहेंगे हम कि हल्ला नहीं करें और सुन लें हमारी बात । इसलिए क्योंकि जब 9वां, 10वां की लड़की को कहीं क्रियाकर्म के लिए जाना पड़ता है तब वह क्या कहेगी जेंट्स मास्टर से इसलिए हम कहेंगे कि सभी जगह महिला मास्टर होना चाहिए । यही हमारी गुजारिश है । सर, दो-चार हमारा सुझाव है इसको सुन लिया जाय । सुझाव यही है कि हमारे यहां मैट्रिक में लड़का लोग तो फैल हो गया । हमने मास्टर से पूछा है कि नियम क्या है भाई तो वे कहते हैं कि पहला से 9वां तक परीक्षा नहीं लेना है तब पास कैसे करेगा ? तब पास करेगा पूछकर लिखे, नहीं लिखे पास कर देना है। यह सब समस्या है कि गरीब का लड़का हमारा पढ़ता है सरकारी स्कूल में और धनिक का लड़का पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट में तिमाही, छमाही सब परीक्षा होती है लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में परीक्षा नहीं होती है, इसमें परीक्षा होना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अरूण कुमार : जी सर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-71(श्री सरोज यादव)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर ने अपने पत्रांक-896, दिनांक-29.07.16 द्वारा सूचित किया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा, बड़हारा, कोईलवर आदि प्रखंडों में शिक्षक नियोजन में किसी तरह के अनियमितता का मामला संज्ञान में नहीं आने की सूचना दी गयी है । इस संबंध में ज्ञापांक-1171, दिनांक-01.08.16 के द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, आज से पांच महीना पहले इस मामले को इसी सदन में मैंने उठाया था और आपके ही द्वारा कहा गया था मैंने पूरे साक्ष्य के साथ इस मामले को शिक्षक नियोजन का जो मामला था-2003, 2006, 2008 और 2010 और 2012 का मामला, पूरे पत्र के साथ, पे फिक्शेसन के साथ और स्टेटमेंट के साथ अनियमितता पायी गयी थी और मैंने पूरा कागजात शिक्षा मंत्री महोदय को दिया, मगर आज तक उसपर